संख्या-469/2018/4015/22-2-2017-17(83)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बीर पुत्र श्री अजीज निवासी जनपद-सुल्तानपुर के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43985/प्रोबे-5-दयायाचिका/568 दिनांक 11.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सब्बीर पुत्र श्री अजीज जो-पिपरी, थाना-कुड़वार, जनपद-सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा आपसी विवाद की रंजिश को लेकर घटना दिनांक 23-06-1978 को 36 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाठी,बन्दूक व भाला से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-177/1978 में भा0द0वि0 की धारा-342,336, 427,148,302/149,324/149,201/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्लतानपुर के आदेश दिनांक 30.10.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.11.2016 तक 01 वर्ष 00 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सब्बीर (बन्दी संख्या-130/2016) पुत्र श्री अजीज निवासी जनपद-सुल्तानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-469/2018/4015(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर/वर्तमान वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in